तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) प्र0 सं0 15/24 धारा 91 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज भारत सरकार बनाम ... सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/24	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10/12/24 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
10/12/24	उभय पक्ष उपस्थित पी... कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद ... अतः पत्रावली दिनांक 10/3/25 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन का बहिष्कार ... पत्रावली दिनांक 7/5/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा	
7/5/2025	उभय पक्ष उपस्थित पी... कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12/5/25 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0 प्रकरण में प्रतिवादी सं. 01 व 02 उप0 प्रतिवादी संख्या 01 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जवाब आज दिनांक को शामिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रकरण में क्षेत्राधिकार व अवधाधिकार के आधार पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया	

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कोटड़ी (भीलवाड़ा) मुकदमा 14/2023 [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज [illegible] बनाम [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी संख्या 02 का निवेदन पेश किया गया। उपरोक्त को सुने गये तथा पत्रावली के अवलोकन [illegible] वादपत्र में वर्णित तथ्यों को [illegible] वादी का [illegible] निवेदन किया एवं पत्रावली [illegible] 01 के नोटिस वर्तमान जमाबंदी एवं खसरा [illegible] दिनांक 11/12/2008 [illegible] एवं कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के [illegible] मौका पंचनामा मय [illegible] आदि पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर तत्कालीन खातेदार [illegible] कब्जा [illegible] किया गया [illegible] उपयोग उपभोग की [illegible] कर रहे हैं। इस कारण वादी का [illegible] कृषि भूमि का होने से [illegible] के अधिकार का ही है इस कारण वादी [illegible] का वाद खारिज नहीं किया जा सकता है [illegible] बाद सुनवाई साक्ष्य के आधार पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं. 02 ने जवाब बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधन 1988 प्रभावी होने से बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च	[illegible] 10/3/25

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर कोटड़ी

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) प्र० सं० 1560/17 वाद/वन हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अमरराम सुथार वा/ सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा प्र० सं. 202/2005 टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत संघ में दिनांक 12/12/1996 में का भूमि को गोचर वन भूमि में उपयोग उपभोग नहीं किया जा सकता है एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने के पश्चात बिना उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं अपनाधिकार का नहीं होने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे, उपरोक्त को श्रवण पश्चात किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तत्पश्चात न्यायालय का विनम्र मत रहा है कि वाद ग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में वन भूमि के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधन 1988 के तहत वन भूमि का बिना भारत सरकार की अनुमति संशोधन नहीं किया जा सकता है इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार एवं अपनाधिकार का नहीं होने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय के न्यायोचित हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नकल हार्डकॉपी मुताबिक हो।	

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा